

श्रम क०सं०-45/2025(अंश) - 761

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना (संशोधन) 2024 के अन्तर्गत श्रम अधीक्षक, लखीसराय के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) द्वारा 04 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से कुल राशि: रू० 2,00,000/- (दो लाख रूपए), अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र.सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)/ दावेदार	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता/मोबाईल नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःश्रुतता का प्रमाण, कार्य की प्रकृति
1	स्व० सुदीन मांझी, 48, जानकी मांझी, अनु० जाति	सावित्री देवी, (पत्नी)	108 12.02.2026	ग्रा०-धनवह, पो०-जानकीडीह, था०-बन्नुबगीचा, प्र०-चानन, जिला-लखीसराय, 7643886282	31020110 126472	BGB PUNBOMB GB06	रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषक मजदूर का कार्य
2	स्व० महेन्द्र चौधरी, 57, मिश्री चौधरी, अनु० जाति	सोनरवा देवी, (पत्नी)	185 13.03.2026	ग्रा०+पो०-सुरारी इमामनगर, था०-हलसी, प्र०-रामगढ़चौक, जिला-लखीसराय, 8862914470	31170100 001720	DBGB PUNBOMB GB06	रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषक मजदूर का कार्य
3	स्व० संजय मांझी, 52, विशेषसर मांझी, अनु० जाति	सरिता देवी, (पत्नी)	187 13.03.2026	ग्रा०-कुन्दर, पो०-गोपालपुर, था०+प्र०-चानन, जिला-लखीसराय, 7367974647	35864194 538	SBI SBIN00174 19	रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषक मजदूर का कार्य
4	स्व० भीखू मांझी, 55, कालेश्वर मांझी, अनु० जाति	जानो देवी, (पत्नी)	190 14.03.2026	ग्रा०-रेवटा, पो०-गोपालपुर, था०+प्र०-चानन, जिला-लखीसराय, 8709532472	16490017 00009364	PNB PUNB01649 00	रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, ईंट निर्माण में मजदूर का कार्य

कुल: रू०/-2,00,000/-
(दो लाख रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राजेश भारती)

कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या : श्रम क०सं०-45/2025 (अंश) - 761

पटना, दिनांक :- 18/06/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो

इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि **रु० 2,00,000/- (दो लाख रुपए मात्र)** बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, लखीसराय/उप श्रमायुक्त, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई० टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

Signed by Rohit Kumar

15/06/2026 15:02:54

मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bhardi

(राजेश भारती)

कार्यकारी निदेशक